महत्वपूर्ण

सं. 3807 /नौ-7-12-27ज./04

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2012

विषयः पेयजल समस्या के समाधान, सफाई व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

महोदय,

जन सामान्य को नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के नागर निकायों द्वारा पेयजलापूर्ति, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समुचित सफाई व्यवस्था, नाले-नालियों एवं सीवर लाइन की सफाई सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों/नगर आयुक्तों को शासनादेश दिनांक 23.04.2012 तथा 09.07.2012 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मा. उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण तथा अनधिकृत रूप से धार्मिक स्थलों के निर्माण को रोकने के संबंध में भी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जनमानस को उक्त मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है जिससे सामान्य जन को हो रही असुविधा के अतिरिक्त उनमें असन्तोष भी व्याप्त है।

3. उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सफाई व्यवस्था, पेयजलापूर्ति, सीवर लाइन की सफाई, नाले-नालियों की सफाई तथा अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण का औचक निरीक्षण हेतु निम्नवत् टीम गठित की जाती है:

1. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. निदेशक उ.प्र. स्थानीय निकाय द्वारा नामित अधिकारी।
3. संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी।
4. संबंधित जिले के जल निगम के अधिशासी अभियन्ता।

4. औचक निरीक्षण में पायी गयी कमी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की संस्तुति टीम द्वारा शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. को प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

E.mail: so7.urbandev-up@nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय उ.प्र. लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से समस्त नागर निकायों को सूचित करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ.प्र.।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ नगर विकास विभाग की वेब-साइट पर डालने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

E.mail: so7.urbandev-up@nic.in